**मध्यप्रदेश शासन**
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**
**मंत्रालय**
**वल्लभ भवन, भोपाल–462004**

**: आदेश :**

**भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017**

क्रमांक एफ 16–50 / 2017 / 2 / 34 :: माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। जी.एस.टी. प्रभावशील होने के पश्चात् अब सभी वर्क कॉन्ट्रेक्ट पर 18 प्रतिशत सेवा कर लगाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19–51 / 2017 / 1 / 4 / दिनांक 24.07.2017 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26.07.2017 में की गई अनुशंसा के बिंदु क्रमांक–(2) के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है कि, भविष्य में जो भी निविदाएं आमंत्रित की जाएं, उनमें वित्तीय प्रस्ताव जी.एस.टी. राशि को छोड़कर (exclusive of GST) बुलवाए जाएं एवं देयक भुगतान के समय जी.एस.टी. की जो दर देयक पर लागू हो उसके अनुसार टैक्स का भुगतान शासन द्वारा पृथक से ठेकेदार को किया जाए। जी.एस.टी. को छोड़कर शेष समस्त कर, उपकर, लेवी, फी, टोल इत्यादि के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा, तथा यह माना जाएगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव (Financial offer) में उपरोक्त राशि का भुगतान सम्मिलित है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
31/07/2017
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक क्रमांक एफ 16–50 / 2017 / 2 / 34 भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2– प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,म.प्र.भोपाल।
3– मुख्य महाप्रबन्धक, म.प्र.जल निगम मर्यादित, भोपाल।
4– मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल,इंदौर,ग्वालियर, जबलपुर, वि. / याँ. परिक्षेत्र भोपाल।
5– अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग....................मण्डल (समस्त)।
6– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड..................(समस्त)।

31/07/2017
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग